



अध्याय IV छूटें

4.1 छूटें

सड़क, हवाई अड्डा, रेलवे, परिवहन टर्मिनल, पुल, सुरंग तथा बांध के निर्माण के लिए दी गई सेवाएं, तीन निर्माण सेवाओं अर्थात्, डब्ल्यूसीएस, सीसीएस तथा सीओएन में से किसी में शामिल नहीं की जाती हैं।

हमने छूट के अनियमित लाभ देखे जिनके परिणामस्वरूप 15 मामलों में ₹ 19.24 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। इन मामलों में ₹ 3.11 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 19.24 करोड़ की शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

4.1.1 नहर कार्य से संबंधित ईपीसी परियोजना

कार्य ठेका सेवाओं में इंजीनिरिंग, खरीद तथा निर्माण या स्थापना करना (ईपीसी) परियोजनाएं शामिल हैं और ऐसी परियोजनाओं के संबंध में की गई सेवाएं के लिए सेवा कर दायी है। हैदराबाद II कमिश्नरी में, मै. लानको इन्फ्राटेक लिमि. तथा मै. लारसन एण्ड टूब्रो लिमि. (ईसीसी प्रभाग) ने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ की गई सिंचाई परियोजनाओं के लिए नहर कार्य से संबंधित ईपीसी परियोजनाओं का निर्माण किया परन्तु इन निर्धारितियों ने परियोजना को सेवा कर से मुक्त मानकर जुलाई 2007 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान उनके द्वारा प्राप्त क्रमशः ₹ 62.61 करोड़ और ₹ 272.66 करोड़ के सकल प्रतिफल पर सेवा कर देयता का निर्वाह नहीं किया। मै. लानको इन्फ्राटेक लि. तथा मै. लारसन टूब्रो लिमि. द्वारा संयुक्त योजना के अन्तर्गत अदा न किया गया देय सेवा कर क्रमशः ₹ 1.65 करोड़ तथा ₹ 5.62 करोड़ था। ये निर्धारित ₹ 94.45 लाख का ब्याज तथा ₹ 7.27 करोड़ की शास्ति का भुगतान करने को भी दायी थे।

हमारे द्वारा इसे बताए जाने पर (सितम्बर 2008 तथा फरवरी 2009) विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2008) कि ₹ 1.93 करोड़ का एससीएन मै. लानको इन्फ्राटेक लिमि. को जारी किया गया था। मै. लारसन एण्ड टूब्रो लिमि. के मामले में की गई कार्रवाई सूचित नहीं की गई थी (दिसम्बर 2010)।

4.1.2 हैदराबाद II कमिश्नरी में, मै. लानको इन्फ्राटेक लिमि. ने विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए करार किए और इस आधार, कि वे सीसीएस की परिभाषा के क्षेत्र से बाहर हैं, पर विद्युत परियोजना के लिए निर्मित किए जा रहे सड़क, बांध, बांध सुविधाएं, सम्बद्ध कार्य, सुरंग, पुल आदि से संबंधित कार्यों पर सेवा कर देयता का निर्वाह नहीं किया। यह गलत है क्योंकि ये कार्य विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के सम्बन्ध में किए गए थे। 2005-06 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान ₹ 7.73 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था। निर्धारित ₹ 1.70 करोड़

के ब्याज और ₹ 7.73 करोड़ तक शास्ति का भुगतान करने का भी दायी था। आपत्ति सितम्बर 2008 में विभाग को बताई गई थी। उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

4.2 सड़क कार्य

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि व्यापारिक काम्प्लैक्स के निर्माण का ठेका इकट्ठा ठेका है और ठेके के अनुसार सड़क निर्माण एक अलग कार्यकलाप के रूप में मान्य नहीं है तब सड़कों के निर्माण के मूल्य सहित निर्माण के लिए प्रभारित सकल राशि पर सेवा कर उदग्राह्य होगा।

अगस्त 2004 में दिल्ली एसटी कमिश्नरी के निर्धारिती मै. जय प्रकाश एन्टरप्राइजेज और मै. जेपी ग्रीन्स लिमिटेड के बीच हुए ठेका अनुबन्ध की समीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 76.72 करोड़ के कुल ठेका मूल्य पर ग्रेटर नोएडा में नौ होल गोल्फ कोर्स तथा जनता पार्क के विकास के लिए एक संयुक्त अनुबन्ध किया था और सड़क निर्माण को एक अलग कार्यकलाप के रूप में मान्य नहीं किया गया था। तथापि निर्धारिती ने सितम्बर 2004 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान सड़क निर्माण के प्रति ₹ 24.40 करोड़ की अनियमित छूट का लाभ उठाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 99.53 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। ₹ 12.94 लाख का ब्याज तथा ₹ 99.53 लाख तक शास्ति भी उदग्राह्य थे।

यह मार्च 2009 में बताया गया था, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2010)।

4.3 संघटकों का गलत वर्गीकरण

इसी प्रकार, विशाखापटनम कमिश्नरी में, मै. रेमकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (फार्मा सिटी) ने फार्मा सिटी के निर्माण के लिए मै. रेमकी फार्मा सिटी (इण्डिया) लिमिटेड के साथ एक अनुबन्ध किया और कार्य के कुछ संघटकों जैसे कि भूदृश्य निर्माण तथा वृक्ष संवर्धन, सड़कों तथा स्थल श्रेणीकरण आदि पर सितम्बर 2004 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान प्राप्त ₹ 61.14 करोड़ के प्रतिफल की मात्रा पर सेवा कर का भुगतान नहीं किया। चूंकि इन संघटकों का निर्माण एक मात्र काम्प्लैक्स, अर्थात् फार्मा सिटी के निर्माण के संबंध में किया गया था इसलिए समस्त कार्य सम्पूर्ण रूप से कर योग्य था और संघटकों पर कर छूट उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, ₹ 2.30 करोड़ का सेवा कर देय था। निर्धारिती ₹ 29.91 लाख का ब्याज तथा ₹ 2.30 करोड़ की शास्ति का भुगतान करने का भी दायी था।